भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2276

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई

2276. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करने और आतंकवादी अवसंरचना को आश्रय देने या समर्थन देने वाले देशों के प्रति अधिक जवाबदेही के संदर्भ में सरकार द्वारा प्राप्त किए गए उल्लेखनीय राजनयिक परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत की सामरिक स्वायत्तता को कमजोर किए बिना प्रतिस्पर्धी भू–राजनीतक हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सरकार का मार्गदर्शन करने वाले ढांचे का ब्यौरा क्या है क्योंकि यह ब्रिक्स और एससीओ के माध्यम से साथ–साथ अमरीका, रूस और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करता है; और

(ग) ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन द्वारा समर्थन दिए जाने की खबरों के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सामरिक तालमेल से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कूटनीतिक पहल की गई है और सरकार किस प्रकार भारत के दीर्घकालिक सुरक्षा हितों की रक्षा करने का इरादा रखती है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) सरकार, विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य सरकारी यात्राओं के दौरान पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले सीमा–पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को सतत् आधार पर अवगत कराती रही है। सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय

समूहों के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) भी गठित किए हैं जहां ऐसे मुद्दों को नियमित रूप से उठाया जाता है। इन लगातार प्रयासों के कारण, वैश्विक समुदाय अब सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की चिंता को बेहतर ढंग से समझता है। कई देशों ने पाकिस्तान से अपील की है कि वह किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का प्रयोग न होने दे।

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवाद से अपना बचाव करने के लिए भारत की कार्रवाई को कई देशों ने मान्यता दी है। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर जारी किए गए परिणामी दस्तावेज़ों में भी दिखाई दी, जिनमें 25 अप्रैल 2025 का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रेस वक्तव्य, 06 जून 2025 को चौथा भारत–मध्य एशिया विदेश मंत्री संवाद, 16 जून 2025 का एफएटीएफ सार्वजनिक दस्तावेज़, 01 जुलाई 2025 को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का संयुक्त वक्तव्य और 06 जुलाई 2025 को ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन घोषणापत्र शामिल हैं। द रिसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ), जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर–ए–तैयबा (एलईटी) का एक प्रॉक्सी है और जो पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल था, को अमेरिकी प्रशासन द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2025 को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) घोषित किया गया। इसी तरह, दिनांक 24 जुलाई 2025 की 36वीं यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी रिपोर्ट में टीआरएफ का पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े होने का संदर्भ दिया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रयासों के कारण कई आतंकवादी संस्थाओं और व्यक्तियों को संयुक्त राष्ट्र (यूएन), यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा सूचीबद्ध किया गया है जो पाकिस्तान में शरण लेते हैं और भारत के खिलाफ आतंकवाद में भी लिप्त हैं। तवाहुर हुसैन राणा को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका के लिए भारत में मुकदमे का सामना करने हेतु दिनांक 09 अप्रैल 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रत्यर्पित किया गया था।

भारत ने आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने से रोकने में पाकिस्तान की असमर्थता को भी लगातार उजागर किया है जिससे उसके क्षेत्र से संचालित आतंकवादी नेटवर्कों की निरंतर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बनाए रखने में सहायता मिली है। पाकिस्तान को तीन बार एफएटीएफ ग्रे सूची में रखा गया, जिसमें पिछली बार जून 2018–अक्टूबर 2022 तक ऐसा किया गया था। एफएटीएफ की जांच के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान को कुछ कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, जिनमें 26/11 को मुंबई में अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर हमले में शामिल आतंकवादी भी शामिल थे।

(ख) भारत की विदेश नीति उसके व्यापक राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होती है। सामरिक स्वायत्तता हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत का किसी भी देश के साथ संबंध अपने स्वयं के आधार पर स्थापित है और यह इन देशों के अन्य देशों के साथ संबंधों से स्वतंत्र है। ब्रिक्स और एससीओ में भारत की भागीदारी इसके विदेश नीति संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप है और यह अन्य देशों के साथ इसकी द्विपक्षीय साझेदारी को प्रभावित नहीं करता।

(ग) भारत सरकार उन सभी घटनाक्रमों पर गहन निगरानी रखती है जो इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
